न्यायालय संभागीय आयुक्त जयपुर

अपील जीसीएमएस संख्या 2022/281

1. गोपाल लाल
2. मदन लाल
3. हरिनारायण पुत्रान् श्रवणलाल
4. शंकर लाल पुत्र कालूराम जाति जाट निवासी ग्राम हसमपुरा पोस्ट अजयराजपुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर।

—अपीलांट्स

बनाम

1. जोरूराम पुत्र शोला उर्फ श्योजीराम जाति जाट निवासी ग्राम हसमपुरा पोस्ट अजयराजपुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
2. उप—तहसीलदार बगरू तहसील सांगानेर जिला जयपुर।

— रेस्पोडेन्ट्स

अपील अर्न्तगत धारा 75 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध न्यायालय उप तहसीलदार बगरू जिला जयपुर प्रकरण संख्या 06/2020 उनवानी कोयली देवी बनाम जोरूराम।

उपस्थित—

1. श्री सुरेन्द्र सिंह वकील अपीलान्ट
2. श्री राजकमार गठाला वकील रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से।
3. राजकीय अधिवक्ता वकील रेस्पोडेन्ट संख्या 2 की ओर से।

निर्णय

दिनांक—28.05.2025

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत उप तहसीलदार बगरू जिला जयपुर के निर्णय दिनांक 21.09.2021 के खिलाफ प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम हसमपुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर में स्थित प्रश्नगत आराजी के खातेदार नारायण पुत्र बन्ना के विरासत के आधार पर नामान्तरकरण खुलवाने हेतु श्रीमती कोयली देवी पत्नी नारायण एवं रेस्पो0 संख्या 1 जोरूराम ने अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार उप तहसीलदार बगरू जिला जयपुरके समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर नामा0 खुलवाने हेतु निवेदन करने पर अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार बगरू द्वारा मृतक खातेदारनारायण पुत्र बन्ना के वैध वारिशों की स्थिति अस्पष्ट होने की स्थिति में प्रकरण क्षेत्राधिकार से बाहर मानते हुये प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने के आदेश दिनांक 21.09.2021 को दिए गये।

संभागीय आयुक्त
जयपुर

5. उप तहसीलदार बगरू जिला जयपुरके उक्त निर्णय दिनांक 21.09.2021 से व्यथित होकर अपीलान्ट्स गोपाल लालवगै0 द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर अपील स्वीकार करने एवं अपीलाधीन आदेश उप तहसीलदार बगरू जिला जयपुर के निर्णय दिनांक 21.09.2021 को निरस्त किये जाने की प्रार्थना की।

3. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया । उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई ।

4. अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि ग्राम हसमपुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर में स्थित प्रश्नगत आराजी के खातेदार नारायण पुत्र बन्ना का स्वर्गवास दिनांक 06.6.2020 को हो गया, जिस पर उक्त खातेदार नारायण की पत्नि कोयली देवी ने दिनांक 08.7.2020 को अधीनस्थ न्यायालय रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के यहाँ विरासत का नामान्तकरण खुलवाने बाबत आवेदन प्रस्तुत किया तत्पश्चात रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अधीनस्थ न्यायालय के यहाँ को प्रश्नगत भूमि का विरासत का नामान्तकरण खोलने बाबत आवेदन प्रस्तुत किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने कोयली देवी के प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर पटवारी हल्का अजयराजपुरा से जॉच रिपोर्ट प्राप्त करने हेतु लिखा गया, जिस पर पटवारी हल्का ने दिनांक 22.9.2020 को फर्द मौका वारीसान तैयार कर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करते हुये 2 अलग अलग प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने के कारण दिनांक 29.9.2020 को मार्गदर्शन चाहा गया। तत्पश्चात उक्त प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय ने पक्षकारान बयान लेकर उक्त प्रकरण को न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर मानते हुये दिनांक 21.9.2021 को निर्णय पारित कर पटवारी हल्का अजयराजपुरा को मृतक खातेदार नारायण पुत्र बन्ना का विरासत का नामान्तकरण किसी सक्षम न्यायालय द्वारा पारित निर्णय उपरान्त ही खोले जाने एवं उक्त भूमि के वर्तमान राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में नोट का अंकन किये जाने बाबत निर्देशित किया। तत्पश्चात कोयली देवी ने उक्त भूमि की वसीयत अपीलार्थीगण के हक में दिनांक 11.4.2022 को कर नोटरी पब्लिक के रजिस्टर में पंजीबद्ध करवा दी एवं कोयली देवी का दिनांक 24.4.2022 को हो गया, जिससे अपीलार्थीगण उक्त भूमि के एकमात्र मालिक स्वामी व काबिज है।अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष मृतक नारायण के कोयली देवी के अलावा अन्य कोई वारिस एवं दम्पत्ति के कोई पुत्र या पुत्री संतान नहीं होने एवं किसी को गोद नहीं लेने बाबत एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को श्योजीराम का पुत्र होने बाबत दस्तावेजात एवं अपने बयान दिनांक 05.10.2020 को प्रस्तुत किये गये थे तथा पटवारी हल्का ने भी फर्द मौका वारिसान दिनांक 22.9.2020 में कोयली देवी नारायण की एकमात्र वारीस होने तथा कोई पुत्र व पुत्री नहीं होने बाबत रिपोर्ट प्रस्तुत की है, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त सभी दस्तावेजात व बयानो एवं विधि के प्रतिपादित सिद्धान्तो की अनदेखी कर एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा केवल मौखिक आधार पर किये गये बयानो पर विश्वास करते हुये बिना किसी आधार के उक्त निर्णय पारित करने में भारी भूल की है, जिससे अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय इसी आधार पर निरस्त होने योग्य है ।

वकील अपीलांट ने कथन किया कि पटवारी हल्का ने दिनांक 22.9.2020 को ही रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पिता शोला उर्फ श्योजीराम के वारिसान में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को शोला उर्फ श्योजीराम का वारिस होने का फर्द मौका

संभागीय आयुक्त
जयपुर

वारिसान बनाया गया है, जिसके अनुसार रेस्पोडेन्ट संख्या 1 शोला उर्फ श्योजीराम का ही वारिस है एवं इसी आधार पर शोला उर्फ श्योजीराम की भूमि का विरासत का नामान्तकरण भी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के नाम से दर्ज होकर राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का नाम बतौर खातेदार काश्तकार शोला उर्फ श्योजीराम के पुत्र/वारिस की हैसियत से दर्ज है तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के सभी अन्य सरकारी दस्तावेजात विक्रय पत्र, नामान्तकरण, राशन कार्ड, वोटरलिस्ट आदि में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पिता का नाम शोला उर्फ श्योजीराम ही है, उक्त सभी तथ्य एवं दस्तावेज अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध थे, लेकिन अधिनस्थ न्यायालय ने इन सबके विपरीत जाकर व इनकी अनदेखी कर उक्त निर्णय पारित करने में भारी कानूनी भूल की है।मृतक खातेदार नारायण पुत्र बन्ना की वैद्य बारीस एकमात्र कोयली देवी ही थी तथा कोयली देवी ने इस संबंध में सभी दस्तावेजात अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये थे एवं पटवारी हल्का ने भी दिनांक 22.9.2020 को फर्द मौका वारीसान की रिपोर्ट तैयार कर कोयली देवी ही नारायण की एकमात्र वारीस होने तथा कोई पुत्र व पुत्री नहीं होने की रिपोर्ट प्रस्तुत की है एवं पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 22.9.2020 को ही रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के जायन्दा पिता शोला उर्फ श्योजीराम की फर्द मौका वारीसान की रिपोर्ट प्रस्तुत कर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को शोला उर्फ श्योजीराम का वारीस होना अंकित किया है एवं इसके आधार पर शोला उर्फ श्योजीराम की विरासत का नामान्तकरण संख्या 108 दिनांक 27.12.2021 को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व अन्य के वारीसान के नाम से स्वीकृत किया गया है तथा एक व्यक्ति कानूनन दो अलग अलग व्यक्तियो का वारिस/पुत्र/दत्तक पुत्र नहीं हो सकता तथा दो अलग अलग व्यक्तियो की विरासत का नामान्तकरण वारीस होने के आधार पर नहीं खुलवा सकता। अधीनस्थ न्यायालय को उक्त सभी तथ्यो की पूर्व से ही जानकारी थी एवं कृषि भूमि की विरासत के नामान्तकरण की प्रक्रिया में प्रकरण सिविल प्रकृति का नहीं होता है तथा कृषि भूमि की विरासत के नामान्तकरण की प्रक्रिया के संबंध में कोई वैध वारिसों का निर्धारण करवाने की आवश्यकता भी कानूनन नहीं है, बल्कि इस संबंध में अधिनस्थ न्यायालय को ही क्षेत्राधिकार प्राप्त है तथा उक्त प्रकरण में मृतक खातेदार नारायण पुत्र बन्ना के वारीसो की वैध स्थिति स्पष्ट है एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने ऐसा कोई वैध दस्तावेज पेश नहीं किया है, जिससे वारिसों की स्थिति अस्पष्ट हो । उक्त सभी तथ्य एवं दस्तावेजात अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध थे, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने इन सबकी अनदेखी कर तथा इनके विरूद्व जाकर विधि विरूद्व अपीलाधीन आदेश पारित किये हैं।कोयली देवी द्वारा अपने पति नारायण की एकमात्र वारीस होने के आधार पर अपनी अन्य सम्पत्ति के उपहार पत्र दिनांक 15.9.2021 को अपीलार्थी संख्या 1 व 4 के हक में पंजीबद्व करवाये है जो अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा ही पंजीबद्व किये गये है तथा इसके अलावा दिनांक 09.2.1988 को जरिये विक्रय पत्र रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अपने पिता का नाम श्री श्योजीअंकित करते हुये भूमि क्रय की है, जिससे यह साबित है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 श्योजीराम का ही वारिस है तथा नारायण व कोयली देवी का गोदपुत्र नहीं है तथा नारायण व कोयली देवी की सम्पत्ति से रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का किसी प्रकार का कोई हक अधिकार एवं संबंध नहीं है एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने गोदपुत्र होने के संबंध में कोई किसी प्रकार का दस्तावेज भी प्रस्तुत नहीं किया है, बल्कि कोयली देवी ने रेस्पोडेन्ट संख्या 1 श्योजीराम का पुत्र होने एवं नारायण व कोयली का गोदपुत्र नहीं होने के संबंध में दस्तावेज

न्यायालय आदेश
जयपुर

प्रस्तुत किये है। अतः ऐसी स्थिति में अधिनस्थ न्यायालय ने मनमाना आदेश पारित किया है अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सभी तथ्यों पर गौर किये बिना एवं रिकार्ड का अवलोकन किये बिना ही अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विरूद्ध एवं विधिसम्यक नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश उप तहसीलदार बगरू जिला जयपुर दिनांक 21.09.2021 को निरस्त किया जावे।

5. रेस्पोडेण्ट्स के योग्य अधिवक्ता ने अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि मृतक खातेदार नारायण पुत्र बन्ना एवं उनकी धर्मपत्नी कोयली देवी ने उन्हें हिन्दू रिति–रिवाज से बचपन में ही गोद ले लिया था एवं उनके सभी दस्तावेजात् में भी उनके पिता का नाम नारायण ही दर्ज है। अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार बगरू जिला जयपुर के समक्ष प्रार्थी द्वारा यह अपने लिखित बयान में भी स्पष्ट किया गया था। मृतक खातेदार नारायण पुत्र बन्ना के दो वारिस एवं ग्राम हसमपुरा तहसील सांगानेर में स्थित प्रश्नगत भूमि का नामान्तरकरण कोयली देवी एवं प्रार्थी के पक्ष में बराबर–बराबर खोला जाना चाहिए था।

6. हमने विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा प्रकरण का अवलोकन किया एवं प्रकरण के तथ्यों एवं दस्तावेजी साक्ष्यों पर विचार किया। अतः न्यायहित. में कोरोना महामारी के कारण नरमी का रूख अपनाते हुये अपीलांट द्वारा अपील पेश करने पर हुई देरी को क्षम्य किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार बगरू जिला जयपुर द्वारा ग्राम हसमपुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर में स्थित प्रश्नगत आराजी के खातेदार नारायण पुत्र बन्ना के विरासत के आधार पर नामान्तरकरण खुलवाने हेतु श्रीमती कोयली देवी पत्नी नारायण एवं रेस्पो0 संख्या 1 जोरूराम द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर मृतक खातेदार नारायण पुत्र बन्ना के वैध वारिशों की स्थिति अस्पष्ट होने की दशा में वैध वारिसान् की स्थिति का निर्धारण करना सक्षम सिविल न्यायालय के क्षेत्राधिकार में मानते हुये प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने के उचित एवं विधिसम्मत् अपीलाधीन आदेश दिए गये हैं। इस संबधं में हमारा विनम्र मत है कि अगर उभयपक्ष को अपने अधिकार तय कराने हैं तो सक्षम न्यायालय से ही अधिकारों को निर्धारण किया जा सकता है। उभयपक्ष अपने हक–हकूक अधिकार प्राप्त करने के लिए सक्षम न्यायालय में चाराजोही करने हेतु स्वतंत्र है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार बगरू का अपीलाधीन आदेश उचित व विधिसम्यक है। अपीलाधीन आदेश में किसी प्रकार की त्रुटि जाहिर नहीं होती है। इसमें हस्तक्षेप किया जाना हम उचित नहीं समझते हैं।

अतः आदेश है किः अपील अपीलांट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार बगरू जिला जयपुर का निर्णय दिनांक 21.09.2021 यथावत रखा जाता है।

(पूनम)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर

निर्णय आज दिनांक 28.05.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर